

**छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी  
(CGSWMA)**

सी-69, खनिज नगर, व्ही.आई.पी. रोड,  
रायपुर, छ.ग. पिन कोड-492006

क्रमांक 996/CGSWMA/17  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 11/12/2017

1	अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन,	2	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन,
3	प्रमुख सचिव, वन विभाग, छ.ग. शासन,	4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग छ.ग. शासन,
5	सचिव, जल संसाधन विभाग, छ.ग. शासन,	6	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग. शासन,
7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग. शासन,	8	आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. शासन,
9	संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, छ.ग. शासन,	10	संचालक, पंचायत, छ.ग. शासन,
11	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान छ.ग.	12	महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST)
13	श्री अमित कुमार, निदेशक (WM) भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	14	राष्ट्रीय वर्षाजनित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA के प्रतिनिधि, नई दिल्ली
15	महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, फाफाडीह चौक, रायपुर,	16	निदेशक केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, रीना अपार्टमेंट, पचपेढी नाका, रायपुर,
17	संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर,	18	संचालक, विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर,
19	श्री द्वारिकेश पाण्डेय, द्वारिकापुरी नवाडीह, जिला बिलासपुर	20	डॉ. रमाकांत बाजपेयी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर,
21	डॉ. जी.पी.पाली, प्रमुख वैज्ञानिक, विस्तार संचालनालय, इं.गां.कृ.वि.वि.	22	श्री नरेश नंदे, जशपुर,
23	श्री मेजर अनिल सिंह,	24	श्री ब्रजमोहन देवांगन, भानुप्रतापपुर,
25	श्री पीलूराम यादव, सुकमा,	26	श्री राजेन्द्र शर्मा, बिलासपुर,
27	श्री रितेश फरमानिकया पेन्द्रा	28	श्री यज्ञदत्त शर्मा, बालोद,
29	श्रीमती सरिता वर्मा, मठपारा रायपुर		

**विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (Chhattisgarh State Watershed Management Agency (CGSWMA)) की शासी परिषद् की चतुर्थ बैठक का कार्यवाही विवरण।**

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (Chhattisgarh State Watershed Management Agency (CGSWMA)) की शासी परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक-21/11/2017 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "महानदी भवन" मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग. में संपन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आलोक अंबस्थी)  
11/12/17


मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी

//2//

पृ. क्रमांक ११७ /CGSWMA/17  
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 11/12/2017

संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को सादर  
सूचनार्थ।

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी

**छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA)  
की शासी परिषद् की चतुर्थ बैठक  
दिनांक 21/11/2017 का कार्यवाही विवरण**

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21/11/2017 को महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में मुख्य सचिव के प्रतिकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) की शासी परिषद् की चतुर्थ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम CEO-CGSWMA द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों के स्वागत किया गया, तदुपरांत एजेण्डावार जानकारी प्रस्तुत की गई।

**एजेण्डा-1:** छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) की शासी परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 20.07.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**विवरण-** शासी परिषद् को अवगत कराया गया की तृतीय बैठक दिनांक 20.07.2017 की कार्यवाही विवरण में किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति/संशोधन हेतु प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

**निर्णय-** दिनांक 20.07.2016 को आयोजित शासी परिषद् की तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

**एजेण्डा-2:** विगत बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

**विवरण-** Digital Signature के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु CGSWMA द्वारा आयोजित समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं किये गये भुगतान की कार्यवाही से परिषद् को अवगत कराया गया।

**निर्णय-** परिषद् की गई कार्यवाही से अवगत हुई।

**एजेण्डा-3:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास (PMKSY-WDC (IWMP)) परियोजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन।

**विवरण-** दिनांक 06.06.2017 को संपन्न SLSC की बैठक में वर्ष 2017-18 हेतु PMKSY-WDC (IWMP) परियोजनाओं के लिये राशि रु. 92.94 करोड़ की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त राशि रु. 55.75 करोड़ में से राशि रु. 45.73 करोड़ दिनांक 09.11.2017 को जिलों को जारी किये जाने की कार्यवाही से परिषद् को अवगत कराया गया।

**निर्णय-** परिषद् की गई कार्यवाही से अवगत हुई।

**एजेण्डा-4:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- Per Drop More Crop (Other Intervention) योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन।

**विवरण-** दिनांक 06.06.2017 को संपन्न SLSC की बैठक में वर्ष 2017-18 हेतु PMKSY- Per Drop More Crop (Other Intervention) परियोजनाओं के लिये राशि रु. 66.66 करोड़ की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त राशि रु. 33.33 करोड़ तथा पूर्व अवशेष सहित कुल उपलब्ध राशि रु. 35.13 करोड़ में से राशि रु. 34.12 करोड़ दिनांक 28.10.2017 को जिलों को जारी किये जाने की कार्यवाही से परिषद् को अवगत कराया गया।

**निर्णय-** परिषद् की गई कार्यवाही से अवगत हुई।



- एजेण्डा-5:** नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन।
- विवरण-** दिनांक 06.06.2017 को संपन्न SLSC की बैठक में वर्ष 2017-18 हेतु नीरांचल परियोजनाओं के लिये राशि रु. 20.03 करोड़ की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना से परिषद् को अवगत कराया गया।
- निर्णय-** परिषद् वार्षिक कार्ययोजना से अवगत हुई।
- एजेण्डा-6:** विश्व बैंक पोषित नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने सहयोगी संस्था के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन।
- विवरण-** नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जशपुर एवं कांकेर जिले की चयनित IWMP परियोजनाओं में खसरावार Land Resource Inventory एवं संबंधित Database तैयार किये जाने हेतु सहयोगी संस्था के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।
- निर्णय-** चर्चा उपरांत परिषद् द्वारा सर्व सहमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- चर्चा के दौरान महानिदेशक, CGCOST द्वारा नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने सहयोगी संस्था के रूप में CGCOST को भी परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) में सम्मिलित करने हेतु आग्रह किया गया। चर्चा उपरांत मुख्य सचिव, छ.ग. शासन सह अध्यक्ष CGSWMA द्वारा CGCOST को परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- एजेण्डा-7:** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत IWMP परियोजनाओं को प्रारंभ किये जाने के संबंध में।
- विवरण-** प्रदेश में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में स्वीकृत एवं अस्थायी रूप से स्थगित कुल 55 IWMP परियोजनाओं में DPR निर्माण सहित प्रारंभिक चरण की गतिविधियों को प्रारंभ किये जाने से संबंधित प्रस्ताव परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।
- निर्णय-** चर्चा उपरांत परिषद् द्वारा सर्व सहमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- एजेण्डा-8:** CGSWMA में पर्यवेक्षण अधिकारी-I 15600-39100 (ग्रेड पे 7600) के पद पर जल संसाधन विभाग, छ.ग. शासन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री पी.एन.सिंह, वरिष्ठ भू-भौतिकविद् की कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति के 02 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रतिनियुक्ति अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन।
- विवरण-** श्री पी.एन. सिंह, पर्यवेक्षण अधिकारी-I का IWMP परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनके अनुभव एवं विश्व बैंक पोषित नीरांचल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इनकी आवश्यकता को देखते हुए प्रतिनियुक्ति अवधि में पुनः 02 वर्ष (09.10.2017 से 08.10.2019 तक की अवधि के लिये) की वृद्धि किये जाने से संबंधित प्रस्ताव परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

**निर्णय—** परिषद् में समग्र रूप से चर्चा उपरांत मुख्य सचिव, छ.ग. शासन सह अध्यक्ष CGSWMA द्वारा इस विषय में विभाग को निर्णय लेने के निर्देश दिये।

**एजेण्डा—9:** शासी परिषद् में शामिल किये गये मनोनीत सदस्यों के अनुमोदन विषयक।

**विवरण—** छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) के उप नियम में शासी परिषद् के गठन से संबंधित पैरा क्रमांक-14.2 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप छ.ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 14794, दिनांक 24.11.2016 द्वारा मनोनीत सदस्यों एवं अंबिकापुर जोन, जगदलपुर जोन, वृष्टिछाया जोन एवं सामान्य जोन से शासी परिषद् में मनोनीत 02-02 सदस्यों की सूची से शासी परिषद् को अवगत कराया गया।

**निर्णय—** परिषद् की गई कार्यवाही से अवगत हुई।

**एजेण्डा—10:** PMKSY-WDC (IWMP), PMKSY-Per Drop More Crop (Other Intervention) एवं नीरांचल परियोजना की प्रगति का अवलोकन।

**विवरण—** CEO-CGSWMA द्वारा PMKSY-WDC (IWMP), PMKSY-Per Drop More Crop (Other Intervention) एवं नीरांचल परियोजना की प्रगति से परिषद् को अवगत कराया।

**निर्णय—** परिषद् द्वारा PMKSY-WDC (IWMP) एवं PMKSY-Per Drop More Crop (Other Intervention) योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना की धीमी वित्तीय प्रगति से संबंधित चर्चा के दौरान CEO-CGSWMA द्वारा वित्तीय प्रगति को बढ़ाने हेतु वर्तमान में प्रचलित Delegation of Financial Powers/Administrative Powers में संशोधन की आवश्यकता से अवगत कराते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित होने के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया।


अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन द्वारा Delegation of Financial Powers/Administrative Powers से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दिये गये।


चर्चा के दौरान IWMP परियोजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए :-

- मुख्य सचिव, छ.ग. शासन सह अध्यक्ष CGSWMA द्वारा सूखा प्रभावित जिलों बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव एवं मुंगेली जिले में संचालित IWMP परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये।
- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंग्राविवि द्वारा PMKSY-WDC (IWMP) योजनांतर्गत जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु संरचनाओं का निर्माण MGNREGS के साथ अभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक रूप से संपादित किये जाने के सुझाव दिये गये।
- सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा IWMP परियोजनाओं में भू-जल संवर्धन से संबंधित कार्यों को संपादित किये जाने के सुझाव दिये गये।

- महानिदेशक CGCOST द्वारा वर्ष 2009-10 की स्वीकृत परियोजनाओं में Impact Assessment कार्य संपादित किये जाने हेतु इन परियोजनाओं की Village Boundry में संशोधन की आवश्यकता से अवगत कराया गया।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं के ऊपरी क्षेत्रों (Ridge areas), जो मुख्यतः वन क्षेत्र के अंतर्गत है, का उपचार वन विभाग के सहयोग से कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- श्री द्वारिकेश पाण्डेय, मनोनीत सदस्य CGSWMA द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये परियोजना क्षेत्रों में जल संवर्धन एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता के लिये जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता बतायी गयी।

अंत में CEO-CGSWMA द्वारा मान. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
(आलोक अवस्थी) 24.11.18  
CEO-CGSWMA  
सदस्य सचिव

अनुमोदित  
  
मुख्य सचिव सह अध्यक्ष  
CGSWMA

छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA)  
की शासी परिषद् की चतुर्थ बैठक  
दिनांक 21/11/2017, में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	उपस्थित अधिकारी का नाम/पदनाम
1	श्री विवेक ढाँड, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन
2	श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त
3	श्री एम.के. राउत, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4	श्री आर.पी.मण्डल, प्रमुख सचिव, वन विभाग
5	श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6	श्रीमती शहला निगार, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
7	श्री सोनमणि बोरा, सचिव, जल संसाधन विभाग
8	डॉ. के.सुब्रमणियम, महानिदेशक, छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (CGCOST)
9	श्री मणिवासगन एस., संचालक TPIPRD, निमोरा, रायपुर
10	श्री दीपक सोनी, प्रबंधन संचालक, छ.ग. राज्य आजीविका मिशन
11	श्री जितेन कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
12	डॉ. एस.एस.राव, निदेशक, अनुसंधान, इं.गा.कृ.वि.वि.
13	डॉ. एम.पी.ठाकुर, संचालक विस्तार सेवाएं, इं.गा.कृ.वि.वि.
14	डॉ.जी.पी.पाली, मुख्य वैज्ञानिक, इं.गा.कृ.वि.वि.
15	डॉ. आर.के.बाजपेयी, विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, इं.गा.कृ.वि.वि.
16	श्री द्वारिकेश पाण्डेय, कृषक प्रतिनिधि, बिलासपुर
17	श्री आलोक अवस्थी, CEO-CGSWMA